(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

****

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग,'बी' विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
दिनांक: 5 दिसम्बर, 2017

संकल्प

20012/02/2017-रा.भा.(नीति)-पार्ट-1 - राजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबन्धित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद , कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता , शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को समय समय पर प्रस्तुत की गई। वर्ष 1988 में संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित हुए और वर्ष 2017 में नौवें खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में जारी किए गए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड -9) की सिफ़ारिश सं 2 पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की गई है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

दूसरा खंड

(पूर्व आदेश दिनांक 29.03.1990 को संकल्प सं 12015/34/87-राभा(त.क.) द्वारा जारी)

क्र सं	खंड सं/ सिफ़ारिश सं०	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
1	2/3 'ख'	जिन कर्मचारियों को अभी तक हिंदी टंकण अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है , उन्हे एक समयबद्ध	सिफ़ारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबद्ध योजना के अनुसार 1994-95	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

		योजना के अनुसार 1990 के अंत तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार वे हिंदी में टंकण तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें।	के अंत तक हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टंककों के लक्ष्यों में प्रायः 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।	हैं।
2	2/7 (क)	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून , 1988 तक लगाए जाने चाहिए।	यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, उचित यही होगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलैक्स मशीनों से बदल दिया जाए।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
3	2/7(ख)	देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टैलैक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं। यह कार्य वर्ष 1988	यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अंत तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।

		के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए।	इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी -देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे और यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में , अर्थात 30-9-1993 सभी टेलीप्रिंटर/ टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए , ताकि जहां तक एक ओर शीघ्रातिशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलब्ध हों वहीं दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाए।	
4	2/20 (ख)	कम्प्यूटर, शब्द -संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिंदु इलैक्ट्रानिकी विभाग को बनाया जाए।	समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कम्प्यूटर तथा शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिंदु प्रत्येक विभाग का प्रशासन प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट देने के लिए जांच बिंदु राजभाषा विभाग रहेगा।	यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की जाती है।
5	2/25	समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों	समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है , वहाँ स्थित कार्यालयों में सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।

		आदि को तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही भेजे जाएँ।	निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में ही भिजवाए जाए।	

चौथा खंड

(पूर्व आदेश दिनांक 28.01.1992 को संकल्प सं 12019/10/91-राभा(भा) द्वारा जारी)

क्र सं	खंड सं/ सिफ़ारिश सं०	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
6	4/2 'ग'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करें।	समिति की यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के बाद ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएँ। इस संबंध में राजभाषा विभाग यथासमय निर्देश जारी करे।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि प्रत्ये क मंत्रालय/ विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा सम्मेषलन वित्तत मंत्रालय के अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुसार करने पर विचार करें।
7	4/6(ख)	''क'' क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिंदी में जारी करना	राजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार जब तक	यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की जाती है।

		समिति ने सिफारिश की है कि ''क' क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम की धारा3(3) के दस्तावेज (संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात को छोड़कर) केवल हिंदी में जारी किए जाए।	ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है , संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्ववर्ती संकल्पों पर विचार करने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा3(3) की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। अत: वर्तमान में समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार करना संभव नहीं है।	
8	4/8'ख'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें बुलाई जाएँ।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई। तथापि, समिति की उक्त सिफ़ारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का कारगर ढंग से आयोजन करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा इन बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श/ समीक्षा भी सुनिश्चित करे।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
9	4/8'ग'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए	समिति की यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ मान ली	इस सिफ़ारिश पर सातवें खंड

		अलग-अलग हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाए। उसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएँ तथा समितियों की सिफ़ारिशों पर ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।	गई है कि जो बहुत छोटे-छोटे मंत्रालय/विभाग हैं , उनमें संयुक्त रूप से हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाए। शेष मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां गठित की जाएं। राजभाषा विभाग इस परिप्रेक्ष्य में पुनः समीक्षा करके नीति निर्धारित करें।	की सिफ़ारिश सं 16.5(च) पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
10	4/9'क'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि केवल 'क' क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/ कार्यवृत्त आदि एवं संबंधित पत्राचार केवल हिंदी में परिचालित किए जा सकते हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक निदेश जारी करे।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
11	4/10	समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और 'ग' क्षेत्र में भी हिंदी में तार भेजने की शुरूआत की जाए।	तार देवनागरी में भेजने के संबंध में समिति की सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ मान ली गयी है। उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में 'क'तथा 'ख'क्षेत्र की तरह 'ग'क्षेत्र को भेजे जाने वाले तारों का लक्ष्य निर्धारित करे और सभी मंत्रालयों/ विभागों आदि को निदेश जारी करके उनका अनुपालन सुनिश्चित कराये।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
12	4/16	समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के	समिति की यह सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है। 'क'	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के

		अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी हिंदी में अवश्य होने चाहिए , वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं-हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त 'क' और 'ख' क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं।	व 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/ सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टयां हिंदी में की जाएं तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा-सम्भव हिंदी में की जाएं। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश पुन: सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों आदि को परिचालित किए जाएं , ताकि समिति की इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।	आदेश यथावत हैं।
13	4/19(ख)	समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खंड में की गई अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि देश की एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के दायित्व व महत्व को देखते हुए भारत सरकार राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करे, उसे और अधिक सुदृढ़ बनाए और उसे एक मंत्रालय का दर्जा दे , जिससे भारत सरकार की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।	गृह मंत्रालय के महत्व , कार्य-क्षेत्र, एवं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इसके सम्पर्क को देखते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत रखा जाए। अत: समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। तथापि , समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषा विभाग को और अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाया जाये।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

पांचवा खंड

(पूर्व आदेश दिनांक 24.11.1998 को संकल्प सं I/20012/4/92-राभा(नी-1) द्वारा)

क्र सं	खंड सं/ सिफ़ारिश सं॰	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
14	5/1	गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करके उसे पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए।	राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
15	5/5	महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिंदी में प्रवीण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।	राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष कर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करे।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
16	5/16	उच्च न्यायालयों के निर्णय , डिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है। तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की	इस सिफ़ारिश पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		जा सकती है। तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकती है।		
17	5/17	अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद कराने के लिए संघ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें।	अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारें स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर इस दिशा में कार्य करें।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

छठा खंड

(पूर्व आदेश दिनांक 03.09.2004 को संकल्प सं 12021/02/2003-रा.भा.(का-2) द्वारा जारी)

क्र सं	खंड सं/ सिफ़ारिश सं॰	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
18	6/11.5. 10	शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की खरीद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए व इन पर लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च की जाए।	समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 % हिंदी पुस्तकों की ख़रीद पर खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची में उल्लिखित सभी पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस सिफ़ारिश पर संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड - 9 की सिफ़ारिश सं 52 पर पारित आदेशानुसार

			राजभाषा विभाग समय-समय पर हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध करवाएगा।	कार्रवाई की जाए।
19	6/11.5.13	सभी भर्ती परिक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए। सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो। जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया जाए। साक्षात्कार के लिए भी यही नियम लागू हो।	साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प देने के लिए पहले से आदेश विद्यमान हैं। लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी करने संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प: 1968 के प्रतिकूल है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
20	6/11.5.17	कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। अत: समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 40 रखी जाए और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं।	समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जिन समितियों की सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक हो , उन्हें दो भागों में बांटा जाए। राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निदेश जारी किए जाएं।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की है कि जिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सदस्योंं की संख्यां 50 से अधिक है उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाए ताकि अधिकतम निर्धारित संख्या 50 से अधिक न हो।

21	6/11.6.4	कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की जाए।	समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई , क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 346 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्रादि में राजभाषा का प्रयोग किया जाना है।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/ विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार कार्रवाई करें।
22	6/11.6.8	राज्य स्तर पर सभी इलेक्ट्रानिक यंत्र/ संयंत्र/ कम्प्यूटर आदि द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध कराये जाएं और इनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी कार्य के लिए किया जाए।	समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
23	6/11.6.9	केवल रोमन के टाइपराइटरों/ इलेक्ट्रानिक यंत्रों आदि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए।	समिति की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
24	6/11.6.10	केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि को टेलेक्स , टेलीप्रिंटर आदि पर सूचनाएँ हिंदी में भिजवाने की व्यवस्था की जाए और अधिकाधिक तार/फ़ैक्स आदि भी देवनागरी में ही भिजवाने की व्यवस्था की जाए।	समिति की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
25	6/11.10.3	प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। अतः समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		हिंदी में कार्य लिया जाए। वे हिंदी में अपना काम शुरू करते हैं तो उन्हे स्थायी रूप से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।		
26	6/11.10 .6	हिंदी में काम न करने पर जो प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में हो, उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में भी उनके अधिकारी द्वारा यह लिखा जाए कि इन्होंने प्रशिक्षण व योग्यता हिंदी में प्राप्त कर ली है तथा इन्हें राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत सरकारी कामकाज हिंदी में करने के आदेश भी दे दिए गए हैं फिर भी हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं। यह राजभाषा नियमों की अवहेलना है। इस बात का ध्यान संबंधित कर्मचारी की अगली तरक्की के समय पर विशेष रूप से रखा जाए।	वर्तमान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
27	6/11.10 .7	जिस कर्मचारी को भारत सरकार के मंत्रालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ संबद्ध कार्यालय/ उपक्रम आदि , कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए हिंदी , हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि/ अनुवाद प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप से प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण में उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए अपने सरकारी काम का 50 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने दिन उन्होनें	वर्तमान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		प्रशिक्षण लिया और उसके प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए।		
28	6/11.10 .8	जो व्यक्ति हिन्दी में अपना सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उसके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिये जाने चाहिए और उसे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए।	भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
29	6/11.10. 15	सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए।	समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि सभी कार्यालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
30	6/11.10 .19	राजभाषा नियम , 1976 के नियम 8(4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिये जा सकें तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मदें निर्धारित कर दी जाएँ जिन्हें वे हिंदी में करें।	राजभाषा नियम , 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
31	6/11.10 .21	द्विभाषी इलेक्ट्रानिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए।	राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

			तदनुसार ही द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य किया जाना है। इसके लिए अलग से प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।	हैं।
32	6/11.10 .22	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी में छपे या तैयार किए फॉर्मों और मानक मसौदों का उपयोग किया जाए।	राजभाषा नियम , 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
33	6/11.10 .23	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में मोहरों, नामपट्ट , साइनबोर्ड , सीलें, पत्रशीर्ष , वाहनों पर लिखे जाने वाले कार्यालय के विवरण और विजिटिंग कार्ड केवल हिंदी में तैयार किया जाएँ।	राजभाषा नियम , 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
34	6/11.10 .25	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) में संशोधन किए जाए जिससे 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को उक्त धारा के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकें।	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना संभव नहीं है। अतः समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
35	6/11.10 .32	हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाने के अलावा प्रत्येक कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। उसस दिन कार्यालय का सारा कार्य हिंदी में ही किया जाए। किसी विशेष मामले में यदि उस दिन कोई कार्य अंग्रेजी में करना अनिवार्य	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अतएव यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		हो जाए तो उस पत्र/आदेश आदि पर संबन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिंदी में ही किए जाएं।		

सातवाँ खंड

(पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2005 को संकल्प सं 11011/5/2003-रा.भा.(अनु.) द्वारा जारी)

क्र सं	खंड सं/ सिफ़ारिश सं॰	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
36	7/16.5 'क'	केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन निश्चित समय पर प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य किया जाए।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होगा , किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम भी किया जा सकता है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
37	7/16.5 'ग'	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों उपसमितियों के संयोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल सरकारी अधिकारियों की समिति है। अत: यह सिफ़ारिश स्वीकार्य नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
38	7/16.5 'च'	हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन सही समय पर होना चाहिए तथा बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिए।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन समय पर करे और वार्षिक कार्यक्रम में	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

			निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करें।	
39	7/16.5 'ठ'	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग -अलग कार्यालयों में आयोजित की जाए तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाएं और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें, ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए।	यह सिफ़ारिश स्वीकार्य नहीं पाई गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना , बैठक का स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
40	7/16.5 'ड'	विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे नगरों में जहां एक ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है , वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन उप समितियों में विभाजित कर तीन अलग-अलग संयोजक बनाए जाएं एवं उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नियमों के प्रति जागरूकता आए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-6 में की गई सिफ़ारिश सं. 11.5.17 पर आदेश दिया गया है कि ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को , जिनकी सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक है , दो भागों में बांटा जाए , इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन करना सामयिक नहीं है।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वषयन समितियों में सदस्योंं की संख्यां अधिकतम 50 रखी जाए और इससे अधिक होने पर व्या वहारिकता के आधार पर उन्हेंर विभाजित

				किया जाए। विभाजन की स्थिजति में हर नगर राजभाषा कार्यान्वषयन समिति के अध्यिक्ष व सचिव अलग होंगे।
41	7/16.7 'ख'	गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की अनुमति देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में उन्हें प्रकाशित न करें बल्कि इन प्रकाशनों को डिग्लाट में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
42	7/16.7 'घ'	अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी में आयोजित किया जाए।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों के प्रमुखत: हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणत: मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
43	7/16.7 'छ'	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख(लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जिन अधिकारियों के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन के	यह सिफ़ारिश स्वीकार की जाती है।

			लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए।	
44	7/16.8 'ग'	राजभाषा हिंदी में प्रारूपण करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।	यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रारूपकार नियमित सरकारी कर्मचारी हैं।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
45	7/16.9 (क)	किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए जो न केवल संसदीय राजभाषा समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित रहेंगे , बल्कि केंद्रीय हिंदी समिति के भी स्थायी सदस्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी के किसी विद्यवान या हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़े व अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित होगा।	यह सिफ़ारिश विचाराधीन है।	यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की जाती है।
46	7/16.10 (1)	प्राइवेट प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें सरकार द्वारा प्रकाशन के अधिकार (कापीराइट) की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान पहले से विद्यमान है तो सरकार अथवा इसके किसी विभाग द्वारा कापीराइट हस्तांतरित करने की अनुमति देने के समय संबंधित सामग्री को द्विभाषी मुद्रित कराने की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि पुस्तक के आकार के कारण डिग्लाट रूप में छापना	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		असुविधाजनक हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि प्रकाशक/वितरक के पास इस संस्करण का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है।		
47	7/16.12 (क)	विनिवेश के संदर्भ में समिति यह सिफारिश करती है कि जिस भी उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो , चाहे कम या ज्यादा , राजभाषा नीति यथावत लागू रहेगी।	इस सिफ़ारिश पर राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करें।	यह सिफ़ारिश स्वीकार की जाती है।
48	7/16.12 (ख)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियों , जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही है, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ प्रत्राचार हिंदी में ही करे।	राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करे।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीनकार की जाती है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से कार्रवाई की जाए।

आंठवाँ खंड

(पूर्व आदेश दिनांक 02.07.2008 को संकल्प सं I/20012/07/2005-राभा(नीति-1) द्वारा जारी)

क्र सं	खंड सं/ सिफ़ारिश सं०	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
49	8/1'घ'	हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जाएं।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें तो	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

			अवश्य आयोजित करें। इससे अधिक बैठकों के आयोजन के लिए भी सभी प्रयास करें।	
50	8/7	'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टियों का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाए और रजिस्टरों में हिंदी में यथासंभव प्रविष्टियों जैसा प्रावधान समाप्त कर दिया जाए।	सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि 'ग' क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालय इस दिशा में अपने यथासंभव प्रयास जारी रखे।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
51	8/12	समिति ने चौथे खंड में सिफारिश की थी कि 'क' क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात को छोड़कर सभी कागजात केवल हिंदी में जारी किए जाएं। 'क' क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुन: यह सिफारिश करती है कि उपर्युक्त कागजात के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात के संबंध में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। जिन राज्यों मे अभी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के साथ-साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें।	वर्तमान में इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुपालन ही जारी रहे।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
52	8/13	राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिंदी/ भाषा/ आशुलिपि/ टंकण प्रशिक्षण का	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत सरकार के सभी कार्मिकों को राजभाषा विभाग	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

		सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रत्येक कार्यालय तक पहुँचाएँ।	के अधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपना यथासंभव सहयोग दें।	हैं।
53	8/17	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थाई तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने सदस्य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाएं।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
54	8/18	प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति व लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएं।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
55	8/19	हिंदीतर भाषी क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा इनसे जुड़े हिंदी पत्रकारों के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाएं।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की जाती है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
56	8/20	नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

			अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए।	हैं।
57	8/21	क्षेत्र 'ग' में स्थित प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में कम से कम एक हिंदी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य की जाए।	इस सिफ़ारिश के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा न्यूनतम स्टाफ की तैनाती संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
58	8/28	राजभाषा से संबन्धित नियमों इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित गंभीरता से लेने के उद्देश्य से केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में कारवाई जाए और सभी विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हों।	सिफ़ारिश विचाराधीन है।	वर्तमान में सचिव राजभाषा की अध्यक्षता में बैठकें होती है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः यह सिफ़ारिश अस्वीकार की जाती है।
59	8/29	तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी साहित्य को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी पुस्तक -बैंकों की स्थापना करे जो ऐसी पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थानों को उपलब्ध कराएं अथवा उन्हें प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्य से संबंधित तकनीकी , वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर पर्याप्त हिंदी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं उनके प्राप्ति स्रोतों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अन्य संभव साधनों द्वारा प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ताओं को दें।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
60	8/34	वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में तथा उसके पश्चात् राजभाषा विभाग ने पुस्तकों की खरीद के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में	वर्तमान में यथास्थिति बनाए रखी जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

		संशोधन कर इसमें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है। समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस करती है , क्योंकि यदि यह छूट अनिश्चित समय के लिए लागू रही तो इसका हिंदी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा।		हैं।
61	8/36	उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है, कम्प्यूटरों पर हिंदी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रैश पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए और 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाए।	सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि उप सचिव/उच्चाधिकारियों के लिए लघु अवधि के द्रुतगामी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाए और वे कम्प्यूटर पर देवनागरी में अधिक से अधिक कार्य करें।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
62	8/46	केंद्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिसमें उत्तीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को असफल माना जाए।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
63	8/47	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

64	8/48	प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग अपने अधीनस्थ/संबद्ध/ उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/ संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा कैडर से देश भर में स्थापित अपने सभी बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/ कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए तथा जहां संभव न हों वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य उचित व्यवस्था की जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
65	8/49	क्षेत्र 'ग' में हिंदी कार्मिक की नियुक्ति पर उसे विशेष भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र 'क' के अभ्यर्थी बेझिझक क्षेत्र 'ग' में तैनाती स्वीकार कर लें।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
66	8/56	रेडियो/ टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिंदी में सुनिश्चित किए जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक रहती है।	देश में भाषायी विविधता को देखते हुए सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि रेडियो/दूरदर्शन के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रयोजित शैक्षणिक प्रसारणों में हिंदी माध्यम के प्रसारणों को समुचित/पर्याप्त समयावधि प्रदान की जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
67	8/58	केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यंत तकनीकी विषयों को छोड़कर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से पढ़ाये जाने कि व्यवस्था की जाए।	सिफ़ारिश एक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी सेवकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

68	8/69	अंग्रेजी के अखबार में भी हिंदी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिंदी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। अत: सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
69	8/70	विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 % हिंदी पर खर्च किया जाए और 50 % अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर जाए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें।	इस सिफ़ारिश पर नौवें खंड की सिफ़ारिश सं 48 एवं 88 के संदर्भ में जारी आदेश यथावत रहेंगे।
70	8/74	वर्ष 2008 से केंद्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' सभी वर्गों में होने वाली सीधी भर्ती के दौरान ही हिंदी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए ताकि बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके। हिंदी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी 'क', 'ख' तथा 'ग' वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे अधिक हो सकती है। वर्ग 'घ' के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
71	8/75	कर्मचारियों के हिंदी का ज्ञान एवं उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्य का ब्योरा क्रमशः सेवा पंजिका	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के

		तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित किया जाए। साथ ही, हिंदी संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संवर्गों से संबन्धित पदोन्नतियों के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समितियां, पदोन्नति के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए हिंदी कार्य का मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक प्रदान करें।		आदेश यथावत हैं।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉऊंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद(हरियाणा)

संख्या 20012/02/2017-रा.भा.(नीति) पार्ट-1 दिनांक: 6 दिसम्बर, 2017

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
2. भारत के सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय, साडथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, नई दिल्ली।
9. बार कॉउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
13. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
14. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
16. भारत का विधि आयोग, नई दिल्ली।
17. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली।
18. संसद का पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
19. संयुक्त निदेशक(पत्रिका), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग।
20. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र।
21. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके उप-केंद्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय।
22. संसदीय राजभाषा समिति,11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
23. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
24. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
25. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार